रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2015/कार्तिक 6, 1937
No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2015/KARTIKA 6, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2015

सं. 43 (आर.ई.–2015)/2015–20

विषय : आईसीडी के माध्यम से तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े के निर्यात के लिए अनुमति।

फा. सं. 01/91/180/1240/एएम10/निर्यात सैल/पार्ट.—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े के निर्यात के संबंध में दिनांक 05.09.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 24 (आरई–2013)/2009–14 और दिनांक 20.11.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 38 (आरई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 13.8.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 23 (आरई–2013)/2009–14 को संशोधित करते हैं।

2. अब, विदेश व्यापार महानिदशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित पत्तनों/आईसीडी के अलावा जालंधर और नागपुर के आईसीडी के माध्यम से भी तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े का निर्यात अनुमत किया जाएगा। दिनांक 13.8.2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 23 में अधिसूचित नमूनों की निकासी और उनके परीक्षण तथा सीएलआरआई के प्रमाणन की प्रक्रिया जारी रहेगी।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव

तैयार चमड़े, वैट ब्लू और ईआई शोधित चमड़े का निर्यात जालंधर और नागपुर के आईसीडी के माध्यम से भी अनुमत किया गया है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th October, 2015

No. 43 (RE-2015)/2015-20

Subject : Permission for export of Finished Leather, Wet Blue and EI Tanned Leather through ICDs.

F. No. 01/91/180/1240/AM10/Export Cell/Pt.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, Director General of Foreign Trade hereby amends Public Notice No. 23(RE-2013)/2009-14 dated 13.08.2013 read with Public Notice No. 24(RE-2013)/2009-14 dated 05.09.2013 and 38(RE-2013)/2009-14 dated 20.11.2013 regarding export of finished leather, Wet Blue and EI Tanned Leather.

2. Now, in addition to ports/ICDs notified by DGFT from time to time, export of finished leather, Wet Blue and EI Tanned Leather would also be permitted through ICDs at Jalandhar and Nagpur. Procedure for drawal of samples and its testing and certification by CLRI notified in Public Notice No. 23 dated 13.08.2013 would continue.

3. Effect of this Public Notice

Export of finished leather, Wet Blue and EI Tanned leather has been permitted through the ICDs at Jalandhar and Nagpur also.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.